भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998

[*26 मार्च, 1998*]

सा.का.नि. 149 (अ) - केन्द्रीय सरकार, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम, 28) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998** है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक कि, सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम, 28) अभिप्रेत है।

(ख) **"मुख्य अधिनियम"** से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम, 27) अभिप्रेत है।

(ग) **"प्रारूप"** से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है।

(घ) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं तथा अधिनियम या मुख्य अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें उन अधिनियमों में समनुदिष्ट हैं।

(ङ) **"विनिर्दिष्ट"** से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है।

(च) **"उपकर संग्रहक"** से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन उपकर के संग्रहण के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

(छ) **"निर्धारण अधिकारी"** से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन उपकर के निर्धारण के लिए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पदधारण किए हुए हों।

(ज) **"अपील प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11 के प्रयोजनार्थ नियुक्त निर्धारण अधिकारी की पंक्ति का कोई ज्येष्ठ अधिकारी।

3. **उपकर का उद्ग्रहण** - अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उपकर के उदग्रहण के प्रयोजनार्थ, सन्निर्माण की लागत में नियोजक द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उपगत सभी व्यय सम्मिलित होगा, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा-

(क) भूमि की लागत;

(ख) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन किसी कर्मकार या उसके किसी संबंधी को संदत्त या संदेय कोई प्रतिकर।

Scanned by CamScanner

4. संग्रहण का समय और रीति - (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उदग्रहीत उपकर नियोजक द्वारा सन्निर्माण परियोजना के पूर्ण होने के तीस दिन के भीतर या उस तारीख से जिसको संदेय उपकर के निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जाता है, से तीस दिन के भीतर, जो भी पहले हो, उपकर संग्रहक को संदत्त किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, जहाँ परियोजना या सन्निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, वहाँ उपकर, कार्य के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष पूरा होने के तीस दिन के भीतर संदेय किया जाएगा और तत्पश्चात्, प्रत्येक वर्ष सुसंगत अवधि के दौरान उपगत सन्निर्माण की लागत पर अधिसूचित दरों पर संदत्त किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबन्धों के होते हुए भी, जहाँ उपकर का उदग्रहण सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य की बाबत हो वहाँ ऐसी सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम ऐसे कार्यों के लिए संदेय बिलों में से अधिसूचित दरों पर संदेय उपकर से कटौती करेगी या करवाएगी ।

(4) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबन्धों के होते हुए भी, जहाँ किसी सन्निर्माण कार्य के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित हो, वहाँ ऐसे अनुमोदन के लिए किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ बोर्ड के पक्ष में सन्निर्माण की प्राक्कलित लागत पर अधिसूचित दरों पर संदेय उपकर की रकम का एक क्रासित मांगदेय ड्राफ्ट लगाया जाएगा, जो उस स्थान पर संदेय होगा, जहाँ बोर्ड अवस्थित है ।

परन्तु, यदि परियोजना की अवधि के एक वर्ष से अधिक बढ़ने की सम्भावना है, वहाँ मांगदेय ड्राफ्ट प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के दौरान उपगत सन्निर्माण की प्राक्कलित लागत पर संदेय उपकर की रकम के लिए होगा और उपकर का शोध्य अतिरिक्त संदाय, उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(5) नियोजक, मुख्य अधिनियम की धारा 46 के अधीन कार्य के प्रारम्भ की सूचना के साथ सन्निर्माण की प्राक्कलित लागत के आधार पर संगणित उपकर की रकम, बोर्ड के पक्ष में एक क्रासित मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम रूप से संदाय कर सकता है, जो उस स्थान पर संदेय होगा जहाँ बोर्ड अवस्थित है ।

परन्तु यदि परियोजना की अवधि के एक वर्ष से अधिक बढ़ने की सम्भावना है वहाँ मांगदेय ड्राफ्ट प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के दौरान उपगत सन्निर्माण की प्राक्कलित लागत पर संदेय उपकर की रकम के लिए होगा और उपकर का शोध्य अतिरिक्त संदाय, उपनियम-2 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(6) उपनियम (3), (4) और (5) के अधीन संदत्त अग्रिम उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्तिम निर्धारण में समायोजित किया जाएगा ।

5. उपकर के आगमों का बोर्ड को अन्तरण - (1) नियम 4 के अधीन संग्रहीत उपकर के आगम ऐसे सरकारी कार्यालय, पब्लिक सैक्टर उपक्रम, स्थानीय प्राधिकरण या उपकर संग्रहक द्वारा बोर्ड को, राज्य की लेखन प्रक्रियाओं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के अधीन विहित (और बोर्ड के लेखा शीर्ष में) अन्तरित किया जाएगा ।

(2) ऐसे सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम संग्रहीत उपकर से वास्तविक संग्रहण व्ययों का, जो संग्रहीत कुल रकम के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, यथास्थिति, कटौती कर सकेगा या बोर्ड से दावा कर सकेगा ।

(3) संग्रहीत रकम, संग्रहण के तीस दिन के भीतर बोर्ड को अंतरित कर दी जाएगी ।

6. नियोजक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना - (1) प्रत्येक नियोजक, यथास्थिति, अपने कार्य के प्रारम्भ होने या उपकर के संदाय के तीस दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्रारूप-1 में सूचना प्रस्तुत करेगा ।

Scanned by CamScanner

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में किसी परिवर्तन या उपान्तरण की संसूचना निर्धारण अधिकारी को परिवर्तन या उपांतरण किए जाने की तारीख के तुरन्त पश्चात्, किन्तु तीस दिन के अपश्चात्, दी जाएगी ।

7. **निर्धारण** - (1) निर्धारण अधिकारी, नियोजक से प्रारूप (1) में सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत की गई सूचना की संवीक्षा करेगा और यदि वह इस प्रकार प्रस्तुत की गई विशिष्टियों की सत्यता के प्रति संतुष्ट है, तो वह प्रारूप (1) में ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश करेगा, जिसमें नियोजक द्वारा संदेय उपकर की रकम उपदर्शित होगी और उसकी एक-एक प्रति नियोजक, बोर्ड और उपकर संग्रहक को पृष्ठांकित करेगा तथा आदेश को आदेश किए जाने की तारीख से पाँच दिन के भीतर प्रेषित करेगा ।

(2) यदि प्रस्तुत की गई सूचना की समीक्षा करने पर निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि नियोजक ने सन्निर्माण की लागत का न्यून संगणन या मिथ्या संगणन किया है अथवा संदेय उपकर की रकम को संगणित किया है, तो वह नियोजक को उपकर के निर्धारण के लिए नोटिस जारी करेगा ।

(3) ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर नियोजक, नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य की प्रतियों सहित उत्तर प्रस्तुत करेगा;

परन्तु, निर्धारक अधिकारी, निर्धारण के दौरान यदि निर्धारिती अपने दावे को सिद्ध करने के लिए सुनवाई का अनुरोध करता है तो उसे व्यक्तिगत् रूप से सुनवाई का अवसर देगा।

(4) यदि नियोजक उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, या जहाँ नियोजक प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहाँ निर्धारण अधिकारी उपलभ्य अभिलेखों और उससे अनुसंगी अन्य जानकारी के आधार पर निर्धारण प्रारम्भ कर देगा।

(5) निर्धारण अधिकारी कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय, किसी भी अधिकारी को सन्निर्माण की लागत का यथासम्भव सही प्राक्कलन करने के प्रयोजनार्थ कार्य स्थल पर या दस्तावेजी साक्ष्य से अथवा किसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझे, जाँच करने के लिए प्राधिकृत करेगा ।

8. **अति संदत्त उपकर की वापसी** - (1) जहाँ निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश पारित किया है और नियोजक कार्य से हट जाने या उसे पुरोबन्धित करने का विनिश्चय करता है अथवा सन्निर्माण योजना को उपांतरित करता है जिससे हाथ में लिए गए सन्निर्माण की लागत कम हो जाती है, या अन्य परिस्थितियों के कारण हाथ में लिए गए कार्य की पूर्णता को स्थगित करता है, तो वह कार्य में ऐसी कमी या कार्य को रोके जाने का ब्यौरा देते हुए प्रारूप 2 में निर्धारण अधिकारी को सूचना देते हुए निर्धारण आदेश के पुनरीक्षण की माँग कर सकता है ।

(2) निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश का पुनरीक्षण प्रारूप 2 में सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उसी प्रकार किया जाएगा, जैसे मूल आदेश ।

(3) उपनियम (2) के अनुसार निर्धारण के पुनरीक्षण के पश्चात् निर्धारण अधिकारी, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनरीक्षित निर्धारण में यथा आदेशित अति उपकर के प्रतिदाय के लिए, यथा स्थिति, बोर्ड या उपकर संग्रहक को उसकी एक प्रति पृष्ठांकित करेगा ।

(4) बोर्ड, उपनियम (3) के अधीन निर्धारण अधिकारी से पृष्ठांकन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर आदेश में विनिर्दिष्ट रकम का प्रतिदाय नियोजक को माँग देय ड्राफ्ट द्वारा करेगा, जो उस स्थान पर संदेय होगा, जहाँ स्थापन अवस्थित है ।

(5) जहाँ अपील प्राधिकारी ने निर्धारण आदेश को उपान्तरित करके उपकर की रकम को कम किया है, वहाँ प्रतिदाय उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाएगा ।

Scanned by CamScanner

9. छूट - (1) किसी राज्य में कोई नियोजक या नियोजकों का वर्ग जो अधिनियम की धारा 6 के अधीन छूट माँगता है, तो महाश्रम कल्याण निदेशक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन करेगा, जिसमें हाथ में लिए गए कार्य का ब्यौरा, अधिनियम या उस राज्य में प्रवृत्त तत्समान विधि जिसके अधीन वह सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए उपस्कर का संदाय करने के लिए दायी हैं, का नाम और वास्तव में संदत्त उपकर की रकम तथा ऐसे संदाय की तारीख और उसका सबूत का वर्णन कथित करेगा। ऐसे आवेदन की एक प्रति, निर्धारण अधिकारी और संबंधित बोर्ड को पृष्ठांकित की जाएगी।

(2) इस आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, तो संबंधित राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उक्त आवेदन के आधारों, तथ्यों और गुणावगुणों की परीक्षा करने पर, यथास्थिति, नियोजक या नियोजकों के वर्ग को ऐसे स्थान पर जहाँ उपकर पहले से उदग्रहीत है और ऐसी तत्संबंधी विधि के अधीन संदेय है, अधिनियम के अधीन संदेय उपकर के संदाय से छूट देने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आदेश जारी करेगी।

(4) निर्धारण अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से प्रारम्भ होकर 30 दिन की अवधि के लिए या उपनियम (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार का आदेश जब तक नियोजक या नियोजकों के वर्ग जिसने उपनियम (1) के अधीन आवेदन किया है तक पहुँचे, जो भी पहले हो, निर्धारण कार्यवाहियाँ रोक दी जाएंगी।

10. निर्धारण अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ - (1) निर्धारण अधिकारी या नियम 7 के उपनियम (8) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसे अधिनियम की धारा (7) के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया हो, तो वह,-

(क) ऐसे स्थापन में प्रवेश कर सकेगा, जहाँ भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य चल रहा हो;

(ख) कार्य स्थल पर पड़ी सामग्री मशीनरी या अन्य वस्तुओं की तालिका बनाएगा;

(ग) विभिन्न कार्यकलापों में लगे कर्मकारों की संख्या के सम्बन्ध में पूछताछ कर सकेगा;

(घ) किसी विहित रजिस्टर या सन्निर्माण की लागत के निर्धारण का नियोजित कर्मकारों की संख्या से सुसंगत अन्य दस्तावेजों को पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ङ) ऐसे किसी अभिलेख की प्रतियाँ अधिग्रहण कर सकेगा;

(च) सन्निर्माण कार्य के पूर्ण हुए प्रक्रम का साधारण निर्धारण करेगा;

(छ) नियोजक या उस स्थान के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि किसी सामग्री या मशीनरी को जब तक किसी परीक्षा के लिए उसकी आवश्यकता हो, हटाया नहीं जाएगा या उसमें गड़बड़ नहीं की जाएगी;

(ज) माप, टिप्पणी या फोटोग्राफ लेगा;

(झ) सन्निर्माण की लागत के युक्तियुक्त निर्धारण के लिए अति आवश्यक समझी जाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

11. उपकर के संदाय की तारीख वह होगी, जिसको, यथाशक्ति, नियम-4 के उपनियम (1) के अधीन उपकर संग्रहक के पास रकम जमा की जाती है या नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन स्रोत पर कटौती की जाती है अथवा नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के पास ड्राफ्ट जमा किया जाता है।

12. असंदाय के लिए शास्ति - निर्धारण अधिकारी को यदि यह प्रतीत होता है कि किसी नियोजक ने निर्धारण आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उपकर संदत्त नहीं किया है या उपकर, इसमें स्रोत पर कटौती

Scanned by CamScanner

किया गया उपकर या अग्रिम रूप से संदत्त उपकर भी है, का कम संदाय किया है तो वह ऐसे नियोजक को नोटिस जारी करेगा कि उसे बकाया समझा जाएगा और ऐसा निर्धारण अधिकारी, ऐसी जाँच के पश्चात् जो वह उचित समझे, ऐसे नियोजक पर उपकर की रकम से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

परन्तु, ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व ऐसे नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देया जाएगा और यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात् निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम किसी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए था, तो ऐसे नियोजक पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

13. **अतिशोध्य रकम की वसूली** - असंदत्त उपकर, अतिशोध्य संदाय के लिए ब्याज या इन नियमों के अधीन शास्ति के लेखे शोध्य राशियों की वसूली के प्रयोजनार्थ निर्धारण अधिकारी, शोध्य रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण-पत्र तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसे सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को भेजेगा, जो उक्त नियोजक से इसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम ऐसे वसूल करेगा, मानो वह भू-जस्व की बकाया हो।

14. **अपील** - (1) ऐसा कोई नियोजक जो नियम 7 के अधीन किए गए किसी निर्धारण आदेश या नियम 12 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश के विरूद्ध, ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) अपील के साथ निम्नलिखित होंगे,-

(क) वह आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है;

(ख) उपकर कलेक्टर से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि ऐसी अपील से संबंधित यथास्थिति, उपकर की रकम या शास्ति या दोनों, जमा करा दी गई हैं;

(ग) ऐसी अपील के अधीन, यथास्थिति, विवाद का शास्ति या दोनों की रकम के एक प्रतिशत के बराबर की फीस;

(घ) विवाद के मुद्दों का कथन;

(ङ) दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर निर्भर किया गया है।

(3) अपील के प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी, ऐसे अपील के निपटान के लिए यदि वह आवश्यक समझें, तो निर्धारण अधिकारी से, उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पर आधारित एक विवरण माँग सकेगा।

(4) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और अपील का यथा सम्भव शीघ्र निपटान करेगा।

(5) उपकर की मात्रा के प्रति समाधान होने पर अपील प्राधिकारी निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुष्टि करेगा या यदि उसकी राय में निर्धारण गलत किया गया था या उच्चतर था, तो निर्धारण आदेश को परिवर्तित कर सकेगा या यदि उसकी राय में निर्धारण निम्नतर था या निर्धारण का आधार गलत था तो वह उस निर्धारण आदेश की त्रुटियों को ठीक करने के लिए अपनी टिप्पणी के साथ निर्धारण अधिकारी को वापिस भेजेगा।

(6) उपनियम (5) के अधीन किए गए वापसी आदेश का निर्धारण अधिकारी द्वारा निपटान, अपील प्राधिकारी की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए एक मास के भीतर किया जाएगा।

परन्तु, यदि उपकर की रकम बढ़ाये जाने की प्रस्थापना है तो निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

(7) इस नियम के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

(8) यदि अपील प्राधिकारी की यह राय है कि अधिरोपित शास्ति की मात्रा उच्चतर है या सही नहीं है तो वह, निर्धारण अधिकारी के आदेश को, यथास्थिति उपयुक्त रूप से उपांतरित या अपास्त कर सकेगा।

(9) इस नियम के अधीन अपील का निपटान आख्यापक आदेश द्वारा किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति अपीलार्थी, निर्धारण अधिकारी तथा बोर्ड को, ऐसी तारीख से जिसको आदेश किया गया है पाँच दिनों के भीतर भेज दी जाएगी।

(10) अपील के ऐसे किसी आदेश में जिसमें उपकर की रकम कम की गई हो, बोर्ड से ऐसे अधिक उपकर के प्रतिवाद के लिए भी कहा जाएगा।

(11) अपील के किसी ऐसे आदेश में जिसमें शास्ति आवेश में यथास्थिति कमी, बढ़ोतरी या उसकी पुष्टि की जा रही हो, वह तारीख भी विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिस तक शास्ति की रकम का संदाय/प्रतिदाय किया जाएगा।

15. शिकायतों का फाइल करना - (1) निर्धारण अधिकारी या मुख्य अधिनियम के अधीन किसी निरीक्षक या व्यवसाय संगठन को विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता का उल्लंघन, मिथ्या सूचना दिए जाने, आशय या जानबूझ कर उपकर के संदाय का अपवचन करने या अपवचन करने का प्रयास करने की जानकारी मिलती है, तो वह बोर्ड को शिकायत कर सकेगा। बोर्ड ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जाँच करेगा और यदि वह ऐसा विनिश्चय करता है, तो अपराधी के विरूद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने के लिए ऐसी शिकायत को केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर, जैसी वह आवश्यक समझें, ऐसी जाँच कर सकेगी और समुचित अधिकारी क्षेत्र वाले किसी निरीक्षक को न्यायालय में शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

Scanned by CamScanner

प्रारूप

प्रारूप-I

(नियम 7 देखिए)

1. स्थापना का नाम : भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. पता :
3. कार्य का नाम : रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
4. नियोजित कर्मकारों की संख्या :

5. कार्य-प्रारम्भ की तारीख			कार्य की प्राक्कलित अवधि :	
तारीख	मास	वर्ष	मास	वर्ष

6. सन्निर्माण की प्राक्कलित लागत — उपकर के संदाय के ब्यौरे

क्रम	लागत	रकम चालान सं.	अग्रिम-अग्र स्रोत पर कटौती की तारीख	अंतिम-अग
पहला वर्ष				
दूसरा वर्ष				
तीसरा वर्ष				
चौथा वर्ष				
कुल				

नियोजक के हस्ताक्षर

नियोजक का नाम

तारीख

निर्धारण अधिकारी द्वारा भरा जाएगा

7. पूर्ण होने की तारीख
8. अन्तिम लागत
9. निर्धारण की तारीख
10. निर्धारित रकम
11. अपील, यदि कोई हो, की तारीख
12. निर्धारण प्राधिकारी के आदेश की तारीख
13. निर्धारण प्राधिकारी के अनुसार रकम
14. बोर्ड को उपकर के अंतरण की तारीख
15. आन्तरिक रकम, चालान सं. और तारीख

हस्ताक्षर

पदाभिधान

Scanned by CamScanner

प्रारूप-I

(नियम 9 देखिए)

1. स्थापना का नाम : भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या

2. पता :

कार्य-प्रारम्भ की तारीख — कार्य की प्राक्कलित अवधि :

तारीख	महीना	वर्ष	महीना	वर्ष

कार्य (मूल) की प्राक्कलित लागत

अग्रिम उपकर/स्टॉक पर कटौती

निर्धारण आदेश की तारीख

निर्धारित उपकर की रकम

3. मूल प्राक्कलन में उपांतरण पूर्ण होने कारण की पुनरीक्षित तारीख/काम रोके जाने की तारीख/वास्तविक लागत

प्राक्कलन उपगत वास्तविक लागत

क्या कार्य किसी अन्य व्यक्ति/अभिकरण को पूर्ण किए जाने के लिए सौंपा जा रहा हैं, यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति/अभिकरण का नाम/पता — नियोजक के हस्ताक्षर — नियोजक का नाम — तारीख

निर्धारण अधिकारी के उपयोग के लिए

निर्धारण के पुनरीक्षण की तारीख

पुनरीक्षण के पश्चात् उपकर की रकम पहले से प्राप्त उपकर प्रतिदाय किया जाने वाला यदि कोई हो, उपकर

वसूलनीय उपकर

बोर्ड के प्रतिदाय के लिए निर्देश, तारीख/सं.

हस्ताक्षर

पदनाम

Scanned by CamScanner